न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 150/2021

1. प्रेमलता सोनी पत्नी तेजकरण सोनी, जाति माहेश्वरी उम्र 65 वर्ष लगभग, निवासी देवडूंगरी के नीचे, सैनी नर्सिंग होम वाली गली, मदनगंज तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राजस्थान)
2. अभिषेक सोनी पुत्र तेजकरण सोनी, जाति माहेश्वरी उम्र 40 वर्ष लगभग, निवासी देवडूंगरी के नीचे, सैनी नर्सिंग होम वाली गली, मदनगंज तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राजस्थान)

प्रार्थीगण

बनाम

1. नंदकिशोर पुत्र मोडूदास निवासी उदयपुरकलॉ, सिलोरा जिला अजमेर
2. कमला देवी पत्नी बजरंगदास
3. संतोष देवी पुत्री बजरंगदास
4. गणेशदास पुत्र बजरंगदास
5. शंकरलाल पुत्र बजरंगदास

सर्व निवासीगण ग्राम उदयपुरकलॉ, सिलोरा जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रफोर्मा पक्षकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 वास्ते सीमाओं की पत्थर गढ़ी करवाने बाबत्।

दिनांकः 22/03/2022

उपस्थितः श्री शिवा पंवार — प्रार्थीगण अभिभाषक
अप्रार्थीगण अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र जरिये वकील श्री शिवा पंवार के माध्यम से अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते सीमाओं की पत्थरगढ़ी करवाने बाबत् विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थीया संख्या 1 ने ग्राम उदयपुर कला पटवार हल्का सिलोरा किशनगढ़ स्थित खाता संख्या–177 पुराना खाता संख्या 108 ख0नं0 641/67 के विभाजन/तरमीम भाग 641/67/6 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा किस्म बंजर दोयम भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.09.2017 को मूल खातेदार महावीर पिता मोडूदास कौम साधू के देहांत होने से उक्त खातेदार के वारिसान सुगनी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री महावीर कौम साधू चन्द्रप्रकाश पिता स्वर्गीय श्री महावीर कौम साधू सुशीला पुत्री स्वर्गीय स्वर्गीय श्री महावीर कौम साधू प्रहलाद पिता स्वर्गीय श्री महावीर कौम साधू निवासीगण ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उदयपुर कला, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर एवं झमरी देवी पत्नी अर्जुन जाति जाट निवासी ग्राम काचरिया, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर द्वारा विक्रेता सं0 1 लगायत 3 तथा विक्रेता संख्या 5 प्रत्येक सम्पूर्ण 1/4 हिस्से के सहखातेदार की हैसियत से कब्जे काश्तकार के रूप में प्रार्थीया को विक्रय/बेचान किया गया है एवं उक्त बाद रजिस्टर्ड विक्रय के नामान्तरण संख्या 1666 आदेश के दिनांक 06.08.2018 को नामान्तरण प्रार्थिया प्रेमलता सोनी पत्नी श्री तेजकरण सोनी निवासी देवडूंगरी के नीचे सैनी नर्सिग होम वाली गली, मदनगंज तहसील किशनगढ के नाम दर्ज किया गया है। इसी क्रम में जमाबंदी में वर्णित खसरा संख्या–65 रकबा 3 बिस्वा तथा खसरा संख्या–66 रकबा 15 बिस्वा में विक्रेता संख्या–1 लगायत 4 व 5 द्वारा के 1/5 हिस्से जो उक्त विक्रेतागण में निहित था दिनांक 13.09.2007 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बेचान कर दिया जिसका नामान्तरण दिनांक 06.08.2018 को श्रीमान के ओदश से प्रार्थीगण के पक्ष में दर्ज हुआ जिसका जमाबंदी में अंकन हो चुका है। उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण द्वारा क्रयशुद्धा आराजी भूमि का विभाजन का नामान्तरण संख्या–1246 दिनांक 17.04.2013 को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया है विभाजन तरमीम के अनुक्रम में खसरा संख्या–641/67/6 विक्रेतागण 1 लगायत 4 के नाम दर्ज किया गया। इसी क्रम दिनांक 12.09.2017 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के प्रार्थी/खातेदार अभिषेक सोनी निवासी देवडूंगरी के नीचे, सैनी नर्सिग होम वाली गली, मदनगंज तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राजस्थान) के पक्ष जमाबंदी में अंकित मूल खातेदार रामचन्द्र पुत्र मोडूदास जाति साधू निवासी उदयपुर कलां तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर के अपने हिस्से खसरा संख्या 641/67/4 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा बंजर दोयम एंव खसरा संख्या 641/67/5 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा किस्म बंजर दोयम इस प्रकार कुल 3 बीघा 12 बिस्वा जिसके सम्पूर्ण हिस्से/अंश को विक्रेता रामचन्द्र पुत्र मोडूदास द्वारा खातेदार, काबिज के हैसियत से विक्रय किया गया है। खसरा संख्या–65 रकबा 3 बिस्वा एवं खसरा संख्या–66 रकबा 15 बिस्वा में विक्रेता रामचन्द्र पुत्र मोडूदास ने अपने हिस्से 1/5 हिस्से को सहखातेदार, काबिज होने की हैसियत को प्रार्थी अभिषेक सोनी को विक्रय किया है जिस पर नामान्तरण संख्या–1666 दिनांक 06.08.2018 को प्रार्थी के नाम रिकॉर्ड में अमल दरामद हुआ उक्त विक्रयशुद्धा भूमि का नामान्तरण संख्या–1246 दिनांक 17.09.2013 को विभाजन मूल खातेदारो के साथ अन्य खातेदार के बीच पूर्व में हो चुका है। क्रयशुदा भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रार्थीगण की बहैसियत मूल खातेदार की है उक्त खाता संख्या–177 को जमाबंदी में अंकित अन्य खातेदार बजरंग

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

दास पुत्र मोडूदास के वारिसान पत्नी स्वर्गीय बजरंगदास, गणेशदास, शंकरलाल पुत्र स्वर्गीय बजरंग दास, संतोष देवी पिता स्वर्गीय बजरंगदास तथा अन्य खातेदार नंदकिशोर पिता मोडूदास से सीमा के संबंध विवाद आये दिन हो रहे है/होते है तथा सीमा पर फैन्सिंग करवाने के लिए प्रार्थीगण के कब्जे काश्त क्रयशुदा खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग काश्त नहीं कर पर रहे है। जबकि उक्त सम्पूर्ण भूमि विभाजित/तरमीम है। ग्राम उदयपुरकलां सिलोरा स्थित ख0नं0 600/67 एवं ख0नं0 602/67 की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी है एवं ख0नं0 700/67 अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की खातेदारी भूमि है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की आराजी भूमि की सीमायें प्रार्थीगण के आराजी भूमि के खसरा संख्या–626/67, 735/67 (खाता संख्या 603) तथा 677/67 (खाता संख्या–529) की आराजी भूमि से सटी हुई है तथा पत्थरगढ़ी फैसिंग के अभाव में आये दिन सीमा विवाद के कारण लड़ाई–झगढ़ा होते रहते है। उक्त सीमा विवाद के कारण प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 01.07.2021 को उक्त प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी भूमि क तहसीलदार किशनगढ़ अजमेर के आदेशानुसार सीमाज्ञान करवाया गया है जिससे प्रार्थीगण संतुष्ट नहीं है जिस बाबत् प्रार्थीगण ने स्वयं काश्त की सीमाओं पर राजस्व रिकॉर्ड नक्शे के अनुसार पत्थरगढ़ी, फैसिंग द्वारा तारबंदी करवाये जाने बाबत उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ तथा पडोसी और समीपस्थ सभी खातेदारों/भूमि अधिकारी को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित अपनी भूमि एवं अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 5 की आराजी भूमि की सीमाओं के कायम/मुस्तकिल बिन्दू को निर्धारित करके सम्बन्धित सीमा विवाद का विनिश्चय किये जाने एवं उक्त सीमाज्ञान पर कायम बिन्दू/मुस्तकिल बिन्दूओं के सन्दर्भ में सीमा पर फैसिंग/पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण के स्वयं के खर्चे पर स्वयं की आराजी भूमि पर करवाये जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 6 के तामिलशुदा नोटिस प्राप्त हुए। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 5 की ओर से कोई उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 15.12.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई एवं अप्रार्थी संख्या सं 6 कि ओर से जवाब पेश नही करने के कारण उनका जवाब अवसर बन्द किया गया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी एक पक्षीय बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि वाद वर्णित भूमि प्रार्थीगण की क्रयशुदा भूमि है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ख0नं0 626/67 रकबा 0.2912 हैक्टेयर व ख0नं0 735/67 रकबा 0.2912 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी सं0 2 की खातेदारी में एवं ख0नं0 677/67 रकबा 0.5825 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी सं0 1 की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 677/67, 626/67 व 735/67 कुल किता 3 की सीमाज्ञान की कार्यवाही के दौरान प्रार्थीगण की भूमि मौके पर कम आने से प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। प्रार्थीगण की भूमि के आस पड़ौस में अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिनको प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान कराने हेतु निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। ग्राम उदयपुरकलां पटवार हल्का सिलोरा स्थित प्रार्थी सं0 1 की खातेदारी भूमि ख0नं0 677/67 रकबा 0.5825 हैक्टेयर भूमि एवं प्रार्थी सं0 2 की खातेदारी भूमि ख0नं0 626/67 रकबा 0.2912 हैक्टेयर एवं ख0नं0 735/67 रकबा 0.2912 हैक्टेयर भूमि का नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेस सलंग्न राजस्व मानचित्र नक्शा में स्पष्ट अंकन है। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन एवं उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को 2000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर ग्राम उदयपुरकलां पटवार हल्का सिलोरा स्थित प्रार्थी सं0 1 की खातेदारी भूमि ख0नं0 677/67 रकबा 0.5825 हैक्टेयर भूमि एवं प्रार्थी सं0 2 की खातेदारी भूमि ख0नं0 626/67 रकबा 0.2912 हैक्टेयर एवं ख0नं0 735/67 रकबा 0.2912 हैक्टेयर भूमि का राजस्व मानचित्र/जमाबन्दी में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार सम्बन्धित पक्षकारान् कि उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा कराने पर पालना हेतु तहरीर जारी होवे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22/03/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)